ई–मेल

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स,किसान भवन,जेल रोड, भोपाल

क/मंडी/प्रांगण/3/1/ब/पार्ट–7/मुरैना/203 भोपाल,दि. 13/5/2020

प्रति,

भारसाधक अधिकारी/सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
.....जिला ..... (समस्त)

विषय :– प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण में निर्मित संरचनाओं को किराये पर दिये जाने पर दस्तावेजों का विधिवत पंजीयन कराने बाबत।

–000–

विषयांतर्गत लेख है कि पत्र कमांक–18 दिनांक 02.01.2020 से म.प्र. शासन,वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दस्तावेजों का विधिवत पंजीयन कराने के संबध में निर्देश जारी किये गये है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

कृषि उपज मण्डी समिति/उपमण्डी के प्रांगण में निर्मित संरचना यदि किराये पर दी जाती है तो वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत विधिवत पंजीयन की कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही प्रबंध संचालक महो0 द्वारा अनुमोदित।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

उप संचालक(प्रांगण)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क/मंडी/प्रांगण/3/1/ब/पार्ट–7/मुरैना /204 भोपाल,दि. 13/5/2020

प्रतिलिपि–

1. संयुक्त संचालक/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय .....(समस्त) की भेजकर लेख है कि निर्देशों का कडाई से पालन करना सुनिश्चित करावे।

उप संचालक(प्रांगण)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल- 462004

क्रमांक- 18 /2345/2019/2/पांच भोपाल दिनांक ~~दिसम्बर,2019~~ 2.1.2020

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव
कृषि विभाग/राजस्व विभाग/
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

विषय- स्थानीय संस्थाओं/लोक कार्यालयों द्वारा किराए पर दी जाने वाली दुकानों के दस्तावेजों का विधिवत पंजीयन कराए जाने के संबंध में।

--0--

प्राय: यह देखने में आता है, कि गृह निर्माण मण्डल/नगर निगम/नगर निगम /नगर पालिका/मण्डी समिति/ रोगी कल्याण समिति द्वारा अथवा उनका नवीनीकरण अथवा अंतरण किया जाता है। यह भी देखा गया है कि कुछ संस्थाओं द्वारा दुकानों का अंतरण मात्र नस्ती/नोट-शीट पर कर दिया जाता है और कोई विलेख तैयार ही नहीं किया जाता।

2/ किन्तु तत्संबंधी विलेखों का पंजीयन नहीं कराया जाता है। पंजीयन अधिनियम की धारा 17 में उन दस्तावेजों का उल्लेख है, जिनका पंजीयन अनिवार्य है। धारा 17 की कंडिका (घ) के अंतर्गत वर्षानुवर्षी (from year to year) या एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए निष्पादित अचल संपत्ति के पट्टे का पंजीयन अनिवार्य है। किराए पर दी गई दुकानों के दस्तावेजों का स्वरूप पट्टे का होता है, जिसका उललेखित अवधि का होने पर पंजीयन अनिवार्य है। दस्तावेज पर प्रभाये मुद्रांक शुल्क अवधि के आधार पर भारतीय मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 38 में प्रावधानित है, जो निम्नानुसार उल्लेखित है:-

1 वर्ष से कम	0.01%
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	.1%
5 वर्ष से अधिक परंतु 10 वर्ष तक	.5%
10 वर्ष से अधिक परंतु 20 वर्ष तक	1%
20 वर्ष से अधिक परंतु 30 वर्ष तक	2%
30 वर्ष या उससे अधिक	5%

निरंतर....2

2/ पंजीयन अधिनियम की धारा 49 के अधीन अपंजीबद्ध होने की स्थिति में ऐसे दस्तावेज साक्ष्य में अग्राह्य है। स्थानीय संस्थाओं/लोक कार्यालयों के भारसाधक अधिकारियों का यह दायित्व है कि ऐसे किराएनामों पर नियमानुसार मुद्रांक शुल्क चुकाया जाए तथा इनका पंजीयन सुनिश्चित किया जाए।

3/ उक्त परिप्रेक्ष्य में राजस्व अपवंचन की रोकथाम एवं विधिक प्रावधानों के पालन हेतु किराए पर दी जाने वाली दुकानों के दस्तावेजों पर समुचित मुद्रांक शुल्क की अदायगी तथा उनका पंजीयन सुनिश्चित करने के संबंध में अधीनस्थ कार्यालयों को यथा योग्य निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

(आई.सी.पी.केशरी)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग

पृ.क्रमांक- 19 /2345/2019/2/पांच भोपाल दिनांक ~~दिसम्बर,2019~~ 2.1.2020

प्रतिलिपि-

महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक मुद्रांक मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग